रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21, 1971 (श्रावण 30, 1893)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21, 1971 (SRAVANA 30, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
(PART III—SECTION 4)

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया
चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 जुलाई 1971

स० 20-पी० जी० (परीक्षा)/एन/71—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स, 1964 के विनियम 179 की अनुसूची 'सी' के पैराग्राफ 5 के अनुसरण में दि कौंसिल आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता है कि उपर्युक्त नियमों के अधीन मैनेजमैन्ट एकाउन्टैन्सी कोर्स-पार्ट I की एक परीक्षा 3, 4, 5 और 6 नवम्बर 1971 को होगी। परीक्षा निम्नलिखित स्थानों पर होगी —

(1) अहमदाबाद	(13) जोधपुर
(2) बंगलौर	(14) कानपुर
(3) बड़ौदा	(15) मद्रास
(4) बम्बई	(16) मदुरई
(5) कलकत्ता	(17) मंगलौर
(6) कोयम्बटूर	(18) नागपुर
(7) दिल्ली	(19) पटना
(8) एर्नाकुलम	(20) पूना
(9) गौहाटी	(21) राजकोट
(10) हैदराबाद	(22) त्रिवेन्द्रम तथा
(11) इन्दौर	(23) विजयवाड़ा
(12) जयपुर	

परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदनपत्र निर्धारित पत्रक में भरना होगा। जिसकी प्रतियां सचिव, दि कौंसिल आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया, पोस्ट बाक्स नं० 263 इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार का प्रत्येक आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण और सचिव के नाम देय और नई दिल्ली में भुगतान योग्य रु० 100/- के डिमाड ड्राफ्ट के साथ इस प्रकार भेजा जाए, जो उनके पास अधिकतम 15 सितम्बर 1971 तक अवश्य ही पहुंच जाए।

दिनांक 23 जुलाई 1971

स० 1-सी० ए० (35)/70—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स, 1964 की अनुसूची 'सी' में कुछ संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का XXXVIII एक्ट) के भाग 30 के उप-भाग (1) एवं (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इसमें प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, तथा एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रारूप को 15 सितम्बर, 1971 अथवा उसके बाद विचार हेतु रखा जाएगा।

उपर्युक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव उपर्युक्त निश्चित तिथि से पहले प्राप्त होता है तो उस पर काउंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विचार किया जाएगा। उपरोक्त विनियमों की अनुसूची (सी) में :—

I. पैराग्राफ 13 के वर्तमान उप-पैराग्राफ (1) के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करें :—

"अभ्यर्थी, समिति के निर्देशानुसार 2 वर्ष की अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद, प्रशिक्षण समाप्ति की तिथि से, नौ महीने के अन्दर समिति के द्वारा अनुमोदन के लिए, विषय पर थीसिस प्रस्तुत करेगा।

परन्तु समिति समुचित मामलों में, थीसिस प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ा सकती है, जो कि तीन मास से अधिक नहीं होगा।"

II. पैराग्राफ 13 के अंत में निम्नलिखित, उप-पैराग्राफ (6) के रूप में जोड़ दें :— "(6) यदि अभ्यर्थी उपरोक्त उप-पैराग्राफ (1) में दिए गए समय के अन्दर अथवा बढ़े हुए समय में, जो कि उप-पैराग्राफ (1) की शर्त के अन्तर्गत समिति द्वारा दिया गया हो, थीसिस प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उसका पंजीकरण रद्द हो जायगा।

परन्तु समिति अभ्यर्थी से एक सौ रुपए के शुल्क सहित, जोकि, आवेदन के स्वीकृत न होने को छोड़ कर, लौटाया नहीं जायगा, आवेदन प्राप्त होने पर, समिति अपनी इच्छानुसार पंजीकरण का नवीकरण कर सकती है और इस प्रकार के पंजीकरण पर, अभ्यर्थी द्वारा पहले ही प्राप्त की गई प्रशिक्षण अवधि को इस अनुसूची के पैराग्राफ 12(1) में उल्लिखित व्यावहारिक प्रशिक्षण में गिन लिया जाएगा।

दिनांक 5 अगस्त 1971

सं० 1-सी० ए० (46)/71—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम 1964 के विनियम 59 के उप-विनियम (2) के अनुसरण में, दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने की प्रसन्नता है :—

नियम 7 की धारा (VIII) और (IX) के मध्य निम्नांकित बढ़ा लिया जाए :—

(VIII) (ए) छात्रावासों के निर्माण सहित विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करते हुए, तथा इस उद्देश्य के लिए दान द्वारा सदस्यों, छात्रों तथा दूसरों से ऐसे साधनों के द्वारा कोष की वृद्धि करना, जिन्हें कौंसिल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सी० बालकृष्णन्, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1971

सं० इन्स० I-22(1) 1/71(5)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक ने जैसा कि उक्त विनियम 95-क और मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1959 में निर्दिष्ट है, बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर चिकित्सा हितलाभ को मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए 15 अगस्त, 1971 को तिथि नियत की है अर्थात :—

I. पूर्वी निमार जिले की खण्डवा तहसील में खण्डवा नगर की नगरपालिका की सीमा का भीतरी क्षेत्र।

II. होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद तहसील में इटारसी नगर की नगरपालिका का भीतरी क्षेत्र और होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद तहसील में राजस्व ग्राम पथरोटा और खेड़ा का भीतरी क्षेत्र।

ए० एम० सिमोर,
संयुक्त बीमा आयुक्त

कृषि पुनर्वित्त निगम

नोटिस

इसके जरिए यह सूचना दी जाती है कि शुक्रवार, 24 सितंबर 1971 को दोपहर 3 बजे रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया भवन, तीसरी मंजिल, मिट रोड, बंबई-1 में स्थित अधिकारियों के विश्राम कक्ष में कृषि पुनर्वित्त निगम की आठवीं वार्षिक साधारण बैठक होगी। उसमें निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :

(क) 30 जून 1971 को समाप्त हुए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के संबंध में विचार-विमर्श।

(ख) वार्षिक तुलन पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में विचार विमर्श।

(ग) 30 जून 1971 को समाप्त हुए वर्ष में निगम के कामकाज से संबंधित बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।

निगम का शेयर रजिस्टर शुक्रवार 9 सितंबर 1971 से शुक्रवार 23 सितंबर 1971 तक, दोनों दिन मिलाकर, बंद रहेगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
के० माधव दास
प्रबंध निदेशक

वस्त्र उद्योग समिति, बम्बई

बम्बई दिनांक जुलाई 1971

सा० का० नि०—वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के (ग), (घ) तथा (ङ) खंडों के साथ पठित धारा 22 द्वारा प्रदान की गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्र उद्योग समिति केन्द्रीय सरकारी की पूर्व अनुमति से इसके द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम :—1. ये विनियम पोलीस्टर काटन तथा पोलीस्टर विस्कोस मिश्रित वस्त्र निरीक्षण विनियम 1971 कहलाये ।

परिभाषाए :—2. इन विनियमो में **जब** तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'समिति' का तात्पर्य वस्त्र उद्योग समिति से है ।

(ख) 'समुच्चय' का तात्पर्य किसी वस्तु के ऐसे प्रमाण से है जो निश्चित प्रकार तथा गुण की हो ।

(ग) 'भारी दोष' का तात्पर्य निम्न से है :—

(एक) कपड़े की चौड़ाई के आरपार दो या अधिक पिक छूटे हों या वेफ्ट में रेखाए हो,

(दो) कच्चे माल में फरक काउट, ऐंठन, चमक रंग, शेड अथवा, वेफ्ट सूत के मटे समूहो के पिक अंतर के कारण वेफ्ट दोष,

(तीन) समांतर पर टूटे या छूटे हुए दो से अधिक सटे हुए छोर जो 4 इंच से अधिक हो,

(चार) कपड़े में दिखाई देने वाला वार्प या वेफ्ट प्लेाट,

(पांच) कपड़े में दिखाई देने वाला तेल का अन्य दाग,

(छः) कपड़े में चिकना वेफ्ट,

(सात) स्पष्टतया दिखाई देने वाला स्लब,

(आठ) दिखाई पड़नेवाला टूटा पेटर्न,

(नौ) कपड़े की बुनाई में प्रायः लिट या वेस्ट जैसी बाहरी चीज के कारण गाउट,

(दस) भारी कोर दोष,

(ग्यारह) कोर या कोर के समानतर होने वाला किनारे को छोड़कर कपड़े में महत्व-पूर्ण शेडिंग या लिस्टिंग जिससे कपड़े के रंग या चमक में धीरे-धीरे परिवर्तन होता हो,

(बारह) रंगीन प्लेक,

(तेरह) धुधला या काला धब्बा,

(चौदह) धब्बेदार या धारीदार या असमान गहरी रंगाई,

(पंद्रह) रंगाई दोष,

(सोलह) छपाई में दोष जिससे कपड़े की साधारण दिखावट बिगड़ जाती है ।

(घ) 'माल' का तात्पर्य पोलीस्टर कॉटन या पोलीस्टर विस्कोस मिश्रित कपड़े से है ।

(ङ) 'पोलीस्टर काटन मिश्रित कपड़ा,' का तात्पर्य मिलावटी कपड़े से है जो काटन के साथ ताने तथा बाने दोनो में पोलीस्टर रेशा मिलाकर बनाया जाता है ।

(च) 'पोलीस्टर विस्कोस मिश्रित कपड़ा' का तात्पर्य मिलावटी कपड़े से है जो विस्कोस के साथ ताने तथा बाने दोनो में पोलीस्टर रेशा मिलाकर बनाया जाता है ।

(छ) 'गंभीर दोष' का तात्पर्य निम्न से है :—

(एक) कपड़े की लम्बाई भर में एक या अधिक छोर छूट गए हो या एक ही स्थान मे तीन से अधिक छोर छुटे हों जो लम्बाई मे 24 इंच से अधिक हो या स्पष्टतया दिखाई देने वाला दुहरा छोर टुकड़े भर मे हो,

(दो) टुकडे में उसकी लम्बाई के पाच प्रतिशत से अधिक में दिखनेवाला फंसान अटकावर स्नार्ल,

(तीन) भार, जिससे कपड़े की बुनावट निश्चित-रूपेण टूट जाती है,

(चार) छेद कटानों या फटा हुआ,

(पांच) टुकड़े में उसकी लम्बाई के पाच प्रतिशत से अधिक मे स्पष्टया दिखनेवाला रीड चिन्ह,

(छः) टुकड़े में उसकी लम्बाई के पाच प्रतिशत से अधिक में दिखाई देने वाली बिगड़ी या टूटी कोर ।

3. निरीक्षणार्थ माल प्रस्तुत करना

(एक) कोई माल निरीक्षणार्थ प्रस्तुत करने से पहले मिले माल का निरीक्षण करने हेतु उत्तरदायी होगी ताकि कोई ऐसा माल अलग किया जा

सके जो अपेक्षित मानानुसार न हो तथा सुधारने योग्य दोष जैसे कि ढीले धागे, स्नार्ल दूर करने योग्य दाग आदि, दूर किये जा सके। उन्हें यह भी देखना चाहिये कि उसमें कोई मिल की भूल नहीं है।

टिप्पणी:—यह वांछनीय है कि अभिनिर्माता/निर्यातक निरीक्षण सुगम बनाने हेतु समस्त मुख्य दोषों के लिये निशान लगायें।

(दो) पूर्व निरीक्षित माल अच्छी तरह प्रकाशित शेड में रखा जायेगा।

(तीन) निर्माता/निर्यातक इन विनियमों के परिशिष्ट में यथादर्शित नमूने में विहित निरीक्षणार्थ आवेदन करेगा।

4. **निरीक्षण मानदंड** :

(क) माल का निरीक्षण मानकों एवं दोषों दोनों के बारे में किया जायेगा :—

(एक) माल मानक विशिष्टियों के संबंध में संविदा में अनुबंधित विदेशी क्रेता की अपेक्षानुसार या संविदा में वर्णित गुण संख्या शासित करने वाली मानक विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा ?

(दो) जहां मानक विशिष्टियां अनुबंधित न हो किन्तु संविदा शिपमेंट नमूने के अनुसार हो तो माल का निरीक्षण ऐसे नमूने के आधार पर होगा।

(ख) रंजित छपे तथा रंगीन बुने कपड़े की सूरत में प्रकाश, धुलाई, उष्णता, दबाव तथा घिसाव संबंधी प्रभाव की जांच संविदा में अनुबंधित प्रमाणों के अनुसार की जायेगी। जहां कि संविदा में रंग प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख न हो तो विभिन्न एजेंसियों के रंग प्रभाव के बारे में नीचे दिखाई गई न्यूनतम अपेक्षाएं होंगी—

प्रकाश—4 या उससे अच्छा
धुलाई—3 या उससे अच्छा
उष्णता दबाव—3 या उससे अच्छा
घिसाव—3 या उससे अच्छा
(आई एस रेटिंग)

5. **निरीक्षण के लिए नमूना लेना**—निरीक्षक, किस्म अर्थात् बुनाई तथा अन्य दोषों की मौजूदगी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत कुल टुकड़ों में से बेतरतीब 10 प्रतिशत टुकड़े छांटेगा निरीक्षण के लिए चुने गये कुल टुकड़ों में से आधा अधिक से अधिक 5 टुकड़ों की आयाम तथा बनावट अर्थात् चौड़ाई, लम्बाई, छोर/इंच, पिक/इंच तथा वजन/टुकड़ा सम्बन्धी परीक्षा की जायेगी।

6. **जांच के लिए नमूना लेना**—सूतों की गणना, धागे का गठन, क्रिम्प प्रतिशतता, रंग का गहरापन तथा प्रति वर्ग मीटर वजन जैसे लक्षणों का अवधारण करने के लिए प्रत्येक 10,000 मीटर या उसके भाग का पूरी चौड़ाई में 0.9 मीटर का कम से कम एक नमूना लिया जायेगा। रंगे या छपे हुये मालों के सम्बन्ध में हर एक शेड/रंग का 1/4 मीटर का एक टुकड़ा और लिया जायेगा।

7. **अस्वीकृत करने का आधार**—समुच्चय निम्न किन्हीं भी एक कारणों से अस्वीकृत किया जायेगा, अर्थात् :

(एक) यदि विस्तृत निरीक्षण के लिए चुने गए नमूने के प्रति टुकड़े में भारी दोषों की औसत संख्या निम्न सारिणी के स्तम्भ (2), या (यथास्थिति). (3) में दर्शित संख्याओं से अधिक है :—

सारिणी

टुकड़े की लम्बाई	प्रति टुकड़े में अनुज्ञेय भारी दोषों की औसत संख्या,	
	रूसिया (जापान को छोड़कर) तथा अफ्रीका में अन्य देशों के निर्यात के लिए (इच्छित स्थान 'एस')	जापान को छोड़कर रूसिया तथा अफ्रीका के देशों के निर्यात के लिए (इच्छित स्थान एस 'एस')
1	2	3
10 मीटर तक	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10 मीटर से अधिक तथा 20 मीटर तक	1	1.4
20 मीटर से अधिक तथा 30 मीटर तक	1.5	2.1
30 मीटर से अधिक तथा 40 मीटर तक	2.0	2.8

10 मीटर से अधिक लम्बाई के टुकड़े की अवस्था में, प्रत्येक टुकड़े की अनुज्ञेय भारी दोष की औसत संख्या में, एशिया से अन्य देशों में (जापान को छोड़कर) तथा अफ्रीका में निर्यात के लिए (इच्छित स्थान 'एन') भारी दोष 0.5 तथा जापान को छोड़कर एशिया और अफ्रीका के देशों में निर्यात के लिए (इच्छित स्थान 'एन एम') भारी दोष 0.7 प्रत्येक अतिरिक्त 10 मीटर या उसके भाग के लिए, अनुज्ञात किया जायेगा।

(दो) यदि विस्तृत निरीक्षण के लिए चुने गये नमूने के किन्ही टुकड़ों में गंभीर दोष है;

(तीन) यदि विस्तृत निरीक्षण के लिए चुना गया कोई टुकड़ा संविदा में नियत तथा/या अनुमोदित नमूने की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है।

8. **अनुज्ञेय छूट** :—माल उल्लेख में नियत तथा/या अनुमोदित नमूने की बनावट तथा अन्य विशिष्टियों के अनुरूप हैं या नहीं इस तथ्य का अवधारण करने के लिए जब तक कि निर्यात संविदा में विभिन्न छूटें उल्लिखित नहीं की जाती हैं, निम्न छूटों की अनुमति दी जायेगी, अर्थात्:—

(क) सूत की गणना ±5%

(ख) छोर/इंच ±5%

(ग) पिक/इंच ±5%

(घ) लम्बाई : } जैसा कि भारत सरकार के व्यापार
(ङ) चौड़ाई : } तथा उद्योग मंत्रालय (ट्रेड एवं मर्केन्डाइज मार्क) की अधिसूचना क्रमांक 7-3-टी०एम०पी०/59 दिनांक 20 सितम्बर, 1962 ई० में उल्लिखित है।

(च) वजन प्रति टुकड़ा +5% तथा —2.5%

(छ) धागे का गठन ±2 इकाई (प्रतिशत में)

9. **बनावट का निरीक्षण** : बनावट सम्बन्धी विशिष्टियों का अवधारण करते समय निरीक्षक निम्न निदेशों का पालन करेगा अर्थात् :

(एक) चौड़ाई का माप टुकड़े में पांच विभिन्न जगहों पर लिया जायेगा;

(दो) छोर प्रति इंच, टुकड़े की चौड़ाई के आरपार कम से कम तीन विभिन्न जगहों पर गिना जायेगा;

(तीन) पिक प्रति इंच टुकड़े में पांच विभिन्न जगहों पर गिना जायेगा।

10. **पेक तथा मुहरबन्द करना** : निरीक्षित तथा पारित समुच्चय पर निरीक्षक की उपस्थिति में आवश्यक मुहर लगायी जायगी तथा गांठों या केसों में पेक किया जायेगा। और निरीक्षक इस प्रकार पेक माल को मुहरबन्द करेगा।

11. **प्रमाणपत्र** : विनियम 7 के अधीन निरीक्षित तथा अस्वीकृत न किये गये प्रत्येक समुच्चय के बारे में सम्बद्ध पक्षकार को समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत समिति के अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र निर्गमित किया जायेगा।

सी० जी० शिवदासानी,
कार्यकारी सचिव

परिशिष्ट

[विनियम 3 (तीन) देखिये]

आवेदन पत्र

मुख्य निरीक्षक अधिकारी,
वस्त्र उद्योग समिति,
बम्बई।

महोदय,

कृपया टेरीकाट/टेरी विस्कोस मिश्रित कपड़े जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, जांच करवाने का प्रबन्ध कीजिए :

1. निर्यात कर्त्ता का नाम :

2. आवेदक का नाम तथा पता :

3. निर्यात संविदा का क्रमांक : तथा दिनांक (संविदा की प्रति नत्थी की जायेगी)

4. संविदित मात्रा :

5. निरीक्षणार्थ प्रस्तुत मात्रा :

6. मिश्रित कपड़ों का विवरण :

7. निर्माण विशिष्टियां : वार्प
वेफ्ट
छोर प्रति इंच
पिक प्रति इंच
चौड़ाई
लम्बाई

8. निरीक्षणार्थ माल :

9. प्रस्तुत करने का स्थान :

9. दिनांक जिसको निरीक्षक की अपेक्षा की गई है :

10. निर्यात स्थान :

आपका,

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi, the 22nd July 1971

No. 20-PG(Exam)/N/71.—In pursuance of Paragraph 5 of Schedule 'C' to Regulation 179 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to direct that an examination in Management Accountancy Course—Part I, under the said Regulations shall be held on the 3rd 4th, 5th and 6th November 1971. The examination will be held at the following centres :—

(1) Ahmedabad	(13) Jodhpur
(2) Bangalore	(14) Kanpur
(3) Baroda	(15) Madras
(4) Bombay	(16) Madurai
(5) Calcutta	(17) Mangalore
(6) Coimbatore	(18) Nagpur
(7) Delhi	(19) Patna
(8) Ernakulam	(20) Poona
(9) Gauhati	(21) Rajkot
(10) Hyderabad	(22) Trivandrum &
(11) Indore	(23) Vijayawada
(12) Jaipur	

Applications for admission to the examination are required to be made on the prescribed form, copies of which may be obtained from the Secretary to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, Post Box No. 268, Indraprastha Marg, New Delhi-1. Each such application together with the necessary documentary evidence and a Demand Draft for Rs. 100/- payable at New Delhi and drawn in favour of the Secretary must be sent so as to reach him not later than the 15th *September* 1971.

The 23rd July 1971

No. 1-*CA*(35)/70.—The following draft of certain amendments to Schedule 'C' to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (Act XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after 15th September 1971 :—

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

In Schedule 'C' to the said Regulations—

I. For the existing sub-paragraph (1) of Paragraph 13, substitute the following :—

"(1) A candidate after undergoing the practical training for a period of 2 years as may be directed by the Committee, shall submit a thesis on a subject to be approved by the Committee, within a period of nine months, from the date of completion of the training :

Provided that the Committee in appropriate cases, may extend the time for submission of the thesis for a period not exceeding three months".

II At the end of Paragraph 13, add the following as sub-paragraph (6) : —

"(6) If a candidate fails to submit the thesis within the period as prescribed in sub-paragraph (1) above or such extended period as the Committee may grant under the proviso to the said sub-paragraph (1), his registration for practical training shall stand cancelled ;

Provided that the Committee may renew the registration at its discretion, on receipt of an application from the candidate together with a fee of one hundred rupees, which shall not be refunded except where the application is not entertained and on such renewal the period of training already undergone by the candidate shall be counted towards practical training as referred to in paragraph 12(1) of this Schedule."

The 5th August 1971

No. 1-*CA*(46)/71.—In pursuance of sub-regulation (2) of Regulation 59 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to make the following amendments in the Chartered Accountants Students' Association Rules :—

Between clauses (viii) and (ix) of Rule 7, insert the following :—

"(viii)(a) providing facilities to students, including the construction of hostels and to raise funds for this purpose by donations from members, students and others through such means as might be approved by the Council"

C. BALAKRISHNAN
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 31st July 1971

No. INS I.22(1)1/71(5).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 15th day of August, 1971 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Madhya Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1959, shall be extended to the families of insured Persons in the following areas in the State of Madhya Pradesh namely :—

"I. The area within the Municipal Limits of Khandwa Town, in Tehsil Khandwa in the District of East Nimar.

II. The areas within the Municipal Limits of Itarsi town in Tehsil Hoshangabad in the District—Hoshangabad and areas within the limits of revenue villages Pathrota and Kheda in Hoshangabad Tehsil in the District of Hoshangabad."

A. S. SEYMOUR
Joint Insurance Commissioner

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

Bombay-18, the 21st August 1971

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Agricultural Refinance Corporation will be held at the Officers' Lounge, Reserve Bank of India Building, Third Floor, Mint Road, Bombay-1, on Friday, 24 September 1971 at 3 p.m. to transact the following business :

(a) To discuss the audited annual accounts for the year ended 30 June 1971.

(b) To discuss the auditor's report on the annual balance sheet and accounts.

(c) To discuss the report of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1971.

The share register of the Corporation will remain closed from Thursday, 9 September 1971 to Thursday, 23 September 1971, both days inclusive.

By Order of the Board

K. MADHAVA DAS
Managing Director

TEXTILES COMMITTEE, BOMBAY

Bombay, the July 1971

S.O.—In exercise of the powers conferred by Section 23, read with clauses (c), (d) and (e) of sub-section (2) of section 4, of the Textiles Committee Act, 1963, the Textiles Committee, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. *Short title* : These regulations may be called the Polyester-Cotton and Polyester-Viscose Blended Fabrics Inspection Regulations, 1971.

2. *Definitions* : In these regulations, unless the context otherwise requires—

(a) 'Committee' means the Textile Committee.

(b) 'Lot' means the quantity of the material purporting to be of one definite type and quality.

(c) 'Major flaws' means—

(i) weft crack or two or more missing picks across the width of the fabric,

(ii) weft bar due to the difference in raw material, count, twist, lustre, colour, shade or pick spacing of adjacent groups of weft yearns,

(iii) more than two adjacent ends running parallel or broken or missing and extending beyond 4 inches,

(iv) noticeable warp or weft float in the body of the fabric,

(v) noticeable oil or other stain in the fabric,

(vi) oily weft in the fabric,

(vii) prominently noticeable slub,

(viii) conspicuous broken pattern,

(ix) gout due to foreign matter usually lint or waste woven into the fabric,

(x) prominent selvedge defect,

(xi) significant shading or listing in fabrics having a gradual change in tone or depth of shade of the fabric (excluding selvedge border running parallel to the selvedge),

(xii) coloured flecks,

(xiii) blurred or dark patch,

(xiv) patchy or steaky or uneven dyeing,

(xv) dye bar,

(xvi) printing defect which mars the general appearance of the fabric.

(d) 'Material' means the Polyester Cotton or Polyester-Viscose Blended Fabrics.

(e) Polyester-Cotton Blended Fabric' means mixed fabrics made from Polyester Fibre blended with cotton both in warp and weft.

(f) Polyester-Viscose Blended Fabric' means mixed fabrics made from Polyester Fibre Blended with Viscose both in warp and weft.

(g) 'Serious flaw' means—

(i) one or more ends missing in the body of the material throughout its length, or more than three ends missing at a place and running over 24 inches or prominently noticeable double end running throughout the piece,

(ii) undressed snarls noticeable over a length exceeding 5% of the length of the piece,

(iii) smash definitely rupturing the texture of the fabric,

(iv) hole, cut or tear,

(v) reed marks prominently noticeable over a length exceeding 5% of the length of the piece,

(vi) defective or damaged selvedge noticeable over a length exceeding 5% of the length of the piece.

3. *Offering of the material for Inspection* :

(i) The mills shall be responsible for carrying out inspection of the material prior to offering the same for inspection so as to eliminate any material which is not up to the required standard and rectify the rectifiable defects such as lose threads, snarls, removable stains, etc. They should also ensure that it is free from pilling defect;

Note : It is desirable that the manufacturer/exporter may flag all major defects so as to facilitate inspection.

(ii) The pre-inspected material shall be arranged in a well lighted shed;

(iii) The manufacturer/exporter shall apply for inspection in the prescribed proforma as set out in the Appendix to these regulations.

4. *Inspection criteria* :

(a) The inspection of the material shall be both reference to specifications and flaws—

(i) The material shall be inspected according to the requirement of the overseas buyer in respect of specification particulars stipulated in the contract or specification particulars governing the quality number mentioned in the contract;

(ii) Where the specification particulars are not stipulated but the contract is with reference to shipment sample, the material shall be inspected on the basis of such a sample

(b) In the case of dyed, printed and coloured woven material tests for fastness to light, washing, hot pressing and rubbing shall be carried out according to the standard stipulated in the contract. Where the contract is silent about colour fastness, the minimum requirements in respect of colour fastness to various agencies shall be as under—

Light	..	4 or better
Washing	..	3 or better
Hot pressing	..	3 or better
Rubbing	..	3 or better

(I. S. Ratings)

5. *Sampling for inspection* : The inspector shall select at random 10% of the total number of pieces offered for inspection for quality, viz., presence of weaving and other flaws. Out of the pieces selected for inspection, half the number of pieces subject to a maximum of 5 pieces shall be examined for dimensional and construction particulars, viz. width, length, ends/inch, picks/inch and weight/piece.

6. *Drawing of samples for test* : A minimum of one sample of 0.9 metre full width for every 10,000 metres or part thereof shall be drawn for determination of such characteristics as count of yarn, fibre composition, crimp percentage, colour fastness and weight per sq. metre. In the case of dyed or printed material ½ metre piece shall further be drawn representing each shade/colour.

7. *Rejection criteria* : The lot shall be rejected for any one of the following reasons, namely :

(i) if the average number of major flaws per piece in the sample selected for detailed inspection exceeds that shown in the column (2) or (3) (as the case may be) of the Table below :—

Piece length	Average No. of permissible major flaws per piece	
	For export to countries other than Asia (excluding Japan) and Africa (destination 'S')	For export to countries in Asia and Africa excluding Japan (destination 'NS')
1	2	3
Upto 10 metres	Nil	Nil
Above 10 metres and upto 20 metres	1	1·4
Above 20 metres and upto 30 metres	1·5	2·1
Above 30 metres and upto 40 metres	2·0	2·8

For piece lengths above 40 metres 0.5 major flaw for export to countries other than Asia (excluding Japan) and Africa (destination 'S') and 0.7 major flaw for export to countries in Asia and Africa excluding Japan (destination 'NS') in the average number of permissible major flaws per piece shall be allowed for every additional 10 metres or part thereof,

(ii) if any of the pieces in the sample selected for detailed inspection contains a serious flaw;

(iii) if any of the pieces in the sample selected for detailed inspection does not conform to the specification particulars stipulated the contract and/or of the approved sample.

8. *Permissible tolerance* : For determining whether the material conforms to the construction and other particulars stipulated in the specification and/or approved sample, the following tolerances shall be allowed unless different tolerances are specified in the export contract, namely :

(a) Count of Yarn	± 5%
(b) Ends/inch	± 5%
(c) Picks/inch	± 5%
(d) Length (e) Width	As specified in notification of the Govt. of India, in the late Ministry of Commerce and Industry (Trade and Merchandise Marks) No. 7-3-TMP/59 dated the 20th September 1962
(f) Weight per piece	+5% and -2·5%
(g) Fibre composition	- 2 units (in per cent)

9. *Inspection for construction* : When determining construction particulars, the Inspector shall observe the following directions namely :

(i) width shall be measured at five different places in the piece;

(ii) ends per inch shall be counted at not less than three different places across the width of the piece;

(iii) picks per inch shall be counted at five different places in the piece.

10. *Packing and Sealing* : The lot inspected and passed shall be marked with the required stamps and packed into bales or cases in the presence of the Inspector. The material so packed shall be sealed by the Inspector.

11. *Certificate* : In respect of each lot inspected and not rejected under regulation 7, a certificate shall be issued to the party concerned by an officer of the Committee authorised by the Committee in this behalf.

C. G. SHIVDASANI
Acting Secretary

APPENDIX

[*See* Regulation 2 (iii)]

APPLICATION FORM

The Chief Inspecting Officer,
Textiles Committee,
Bombay.

Dear Sir,

Please arrange to inspect Tery-cot/Tery Viscose blended fabrics the particulars of which are given below :

1. Name of Exporter . .
2. Name and address of the applicant . . . .
3. No. & date of the Export Contract (copy of the contract to be enclosed) .
4. Quantity contracted . .
5. Quantity offered for inspection . . . .
6. Description of blended fabrics . . . . .
7. Manufacturing Particulars . . . . Warp
   Weft
   End per inch
   Picks per inch
   Width
   Length
8. Place where the material will be offered for inspection
9. Date on which inspection is required . . .
10. Destination of export .

Yours faithfully

( )

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971